न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 84/2019 (Bank Case)

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीनाथपुरम कोटा जरिये प्राधिकृत अधिकारी
– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रामनारायण पाण्डेय पता– प्लॉट नं0 138, सुभाष विहार एनक्लेव, अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा राज0–324003
–(ऋणी)
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 09.07..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीनाथपुरम कोटा से अप्रार्थी ने दिनांक 31.10.2015 को रूपये 12,50,000/– (अक्षरेः रूपये बारह लाख, पचास हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 138, सुभाष विहार एनक्लेव, अनन्तपुरा कोटा, जिला–कोटा स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 73.33 वर्गगज है, जिसका पट्टा विलेख कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दिनांक 20.8.2015 को राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 रामनरेश पाण्डेय के नाम से है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक द्वितीय कोटा द्वारा दिनांक 2.09.2015 को किया गया है, जिसकी चर्तुः सीमाऐं पूर्व में –रोड, पश्चिम में–प्लॉट नं0 137, उत्तर में प्लॉट नं0 140, दक्षिण में रोड है । को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 27.12.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी के खाते मे 8,28,891/– (अक्षरे रूपये आठ लाख, अठ्ठाईस हजार, आठ सौ, इकरानवें मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

जिला कलेक्टर
कोटा

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया,

Scanned by CamScanner

नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किय । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता मे मे गे अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 138, सुभाष विहार एनक्लेव, अनन्तपुरा कोटा, जिला–कोटा स्थित है, जिसका क्षैत्रफल 73.33 वर्गगज है, जिसका पट्टा विलेख कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दिनांक 20.8.2015 को राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 रामनरेश पाण्डेय के नाम से है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक द्वितीय कोटा द्वारा दिनांक 2.09.2015 को किया गया है, जिसकी चर्तुः सीमाऐं पूर्व में - रोड, पश्चिम में–प्लॉट नं0 137, उत्तर में प्लॉट नं0 140, दक्षिण में रोड है । का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (राजस्थान)

Scanned by CamScanner